

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 3/2022

बउनवान

कजोड़ पुत्र श्री गोपाल जाति-मीणा निवासी राजपुरा तहसील व जिला-बारां, राज०
(अपीलांट)

बनाम
राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बारां, जिला बारां (रेस्पोंडेंट)



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956
उपस्थिति :-1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी, अभिभाषक (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक 25.08.2022

अपीलांट की ओर से जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 22.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-राजपुरा तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 296 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 198/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व प्रक्रिया एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी प्रार्थी के खाते की आराजी के लगवां स्थित है। प्रार्थी अपनी आराजी पर पूर्वजों के समय से काबिज काशत चला आ रहा है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा कई बार पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों से सीमाज्ञान हेतु निवेदन करने के उपरांत भी उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी प्रार्थी के खाते की आराजी के लगवां स्थित है। प्रार्थी अपनी आराजी पर पूर्वजों के समय से काबिज काशत चला आ रहा है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अतिचार एवं अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा कई बार पटवारी एवं राजस्व कर्मचारियों से सीमाज्ञान हेतु निवेदन करने के उपरांत भी उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

हल्का के बयान के अतिरिक्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2022 निरस्त करने की इस्तदुआ की।


इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1710/21 निर्णय दिनांक 01.03.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 528/22 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 22.02.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
पार (चप०)